

न्यायालय-सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक 810/न्या0/2020

जांजगीर, दिनांक 17/07/2020

लोक अभियोजक श्री संतोष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, द0प्र0सं0की धारा 439 के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र की केस डायरी दिनांक 21/07/2020 को श्रीमति कीर्ति लकड़ा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा के न्यायालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

क्र0	आवेदक का नाम	थाना	अपराध क्रमांक	धारा	अधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता का वाट्सअप मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5	6	7
1	मिलनदास महंत	पुलिस चौकी नैला	अप क्र 138/2020 दाप्रक्र. 455/2020 न्यायालय-मु0न्या0म जांजगीर में लंबित।	294, 506वी, 452, 323, 459, 324, 34 भादवि	श्री एन0के0 यादव	9826978353

(राजेश श्रीवास्तव) 17.7.20

सत्र न्यायाधीश  
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

पृ0क्र0 811/न्या0/2020  
प्रतिलिपि:

जांजगीर, दिनांक 17/07/2020

1. श्रीमति कीर्ति लकड़ा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर-चांपा
2. लोक अभियोजक जांजगीर श्री संतोष गुप्ता को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जांजगीर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त अधिवक्ताओं को सूचित करें कि शंका को निवारित करने के आशय से यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी अधिवक्ता अपने मोबाईल (जिसमें 01 mbps इन्टरनेट क्षमता हो) से विडियो एप (Video app/Jitsi Meet App/Bluejeans App) के माध्यम से उचित गणवेश में, अपने निवास/कार्यालय से विडियो कांफ्रेन्सिंग कर सकते हैं।

(राजेश श्रीवास्तव) 17.7.20

सत्र न्यायाधीश  
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

01